



मुख्यालय उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

भोपालपानी, थानो रोड, देहरादून

E-mail: hq.ukvib@gmail.com Website: www.ukvib.org

आदेश

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में कार्यरत निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 03 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से कॉलम सं 04 में अंकित स्थान के लिये स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र०	कार्मिक का नाम एवं पद	वर्तमान तैनाती स्थान	स्थानान्तरण स्थान एवं पद	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री एस०डी० मासीवाल विकास अधिकारी	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय हरिद्वार	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पौड़ी प्र०जि०ग्रा०अ०	-
2	श्री ज्ञान सिंह तड़ियाल विकास अधिकारी	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पौड़ी	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय हरिद्वार प्र०जि०ग्रा०अ०	-
3	श्री नन्दन प्रसाद डिजाइनर/आफिसर इंचार्ज लैब	बोर्ड मुख्यालय देहरादून	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) जसपुर उधमसिहनगर	-
4	श्री के०एन०पंत प्रधान सहायक	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय पिथौरागढ़	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन)अल्मोड़ा	-
5	श्री भुवन चन्द्र जोशी वरिष्ठ सहायक	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय हल्द्वानी नैनीताल	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बागेश्वर	-
6	श्री दिनेश चन्द्र उपाध्याय वरिष्ठ सहायक	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बागेश्वर	क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) जसपुर उधमसिहनगर	-
7	श्री नवीन चन्द्र पंत वरिष्ठ सहायक	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय रुद्रप्रयाग	बोर्ड मुख्यालय देहरादून	-
8	श्री बलराम दरमोड़ा वरिष्ठ सहायक	बिक्री भण्डार बागेश्वर	जिला ग्रामोद्योग कार्यालय उत्तरकाशी	अनुरोध पर
9	श्री राकेश गुरुरानी रंगाई शिक्षक	उत्पादन केन्द्र खटीमा उधमसिहनगर	रिभर व्यू फैक्ट्री अल्मोड़ा	-
10	श्री कमलेश जोशी बिक्री सहायक	सरस विपणन केन्द्र देहरादून	बिक्री भण्डार बागेश्वर	अनुरोध पर

- क्रमांक 01 से 03 पर अंकित अधिकारी स्थानान्तरण स्थान पर आहरण वितरण से सम्बन्धित समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी आदेश निर्गत की तिथि से 07 दिन के अन्तर्गत सम्बन्धित कार्मिक को कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।
- स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी आदेश निर्गत होने की तिथि से 10 दिन के अन्दर स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।
- स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- उक्त कार्मिकों को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता व योगदान समय नियमानुसार देय होगा।
सेवा सम्बन्धी अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(मनीषा पवार)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 309 सी / का0अनु04-497 / स्थाना0 अधिनियम 2017 / उ0खा0ग्रा0बो0 / 2018-19 दिनांक : 07/06/2018
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी श्री
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी
3. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी.....
4. संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड मुख्यालय देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक बोर्ड मुख्यालय देहरादून।
6. उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी बोर्ड मुख्यालय देहरादून।
7. परिक्षेत्रीय ग्रामोद्योग अधिकारी/प्राचार्य मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र उ0खा0ग्रा0बोर्ड, कालाढूंगी नैनीताल/पौड़ी।
8. समस्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/क्षेत्रीय अधीक्षक उद्योग (ऊन) उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड।
9. सम्बन्धित कार्यालय
10. समस्त अनुभाग बोर्ड मुख्यालय देहरादून।
11. आई0टी0 अनुभाग बोर्ड मुख्यालय देहरादून को एक प्रति विभागीय बेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु।
12. तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त को एन0आई0सी0 बेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करेंगे।
13. व्यक्तिगत/गार्ड पत्रावली।

(के0के0 सिंह)

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी